उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 02 /ऋण–लक्ष्य/2023–24 दिनांक– 03.04.2023

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 के ऋण वितरण लक्ष्य।

आप अवगत ही हैं कि बैंक का प्रमुख व्यवसाय ऋण वितरण है। बैंक की शाखाओं द्वारा जो भी ऋण वितरण किया जाता है तथा वितरित ऋण से जो ब्याज के रूप में आय अर्जित होती उसका सीधा प्रभाव बैंक की वित्तीय तरलता पर पड़ता है साथ ही बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शाखाओं के ऋण वितरण के लक्ष्यों में व्यवहारिकता एवं क्षेत्र में योजनाओं की उपयोगिता/आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मण्डलवार वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति के अनुरूप मण्डलवार वित्तीय वर्ष 2023–24 के **"न्यूनतम प्रस्तावित लक्ष्य"** निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु बैंक में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप ऋण वितरण का कुल वार्षिक लक्ष्य रू0 500.00 करोड़ के मण्डलवार प्रस्तावित न्यूनतम लक्ष्य निम्नवत् है–

(धनराशि लाखों में)

क0सं0	मण्डल का नाम	शाखाओं की संख्या	न्यूनतम प्रस्तावित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023–24
1	2	3	4
पूल 'ए' में आच्छादित मण्डल			
1	मुरादाबाद	26	4800.00
2	आगरा	26	3300.00
3	सहारनपुर	13	3000.00
4	अलीगढ़	21	3000.00
5	बरेली	35	4800.00
6	लखनऊ	41	6000.00
7	मेरठ	20	2700.00
पूल 'बी' में आच्छादित मण्डल			
8	मिर्जापुर	6	1100.00
9	झाँसी	11	1700.00
10	प्रयागराज	18	2500.00
11	कानपुर	21	3000.00
12	गोरखपुर	14	3000.00
13	देवीपाटन	13	1800.00
14	अयोध्या	16	2000.00
15	आजमगढ़	14	2300.00
16	चित्रकूट	9	1400.00
17	वाराणसी	13	2500.00
18	बस्ती	6	1100.00
उ0प्र0 का योग–		**323**	**50000.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा मण्डल की शाखाओं के, ऋण की व्यवहारिकता एवं क्षेत्र में योजनाओं की उपयोगिता/आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए माहवार एवं क्रमिक ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारण किये जाएं–

1. मण्डल की प्रत्येक शाखा में शाखा के कार्यक्षेत्र, कृषक लाभार्थियों की मांग एवं योजना की उपयोगिता के आधार पर योजनावार लक्ष्यों का शाखावार निर्धारण करते हुए बैंक मुख्यालय पर आहूत बैंठक दिनांक–12.04.2023 को साथ अवश्य लेकर आएं।
2. **ऐसी शाखाएं जिनके द्वारा नवीन वितरित ऋणों (मार्च, 2021 से वितरित) देय किश्तों की नकद वसूली 90 प्रतिशत से कम की गयी है तो इन शाखाओं को प्रधान कार्यालय से ऋण वितरण हेतु शाखा द्वारा दिनांक–01.04.2023 से की गयी नकद वसूली के समतुल्य धनराशि प्रेषित की जायेगी।**

3. मण्डल में बड़े प्रोजेक्टों में ऋण वितरण हेतु **पूल 'ए'** से आच्छादित मण्डल प्रतिमाह 10.00 लाख की 01 एवं 15.00 लाख की 01 ऋण पत्रावली तथा **पूल 'बी'** से आच्छादित मण्डल प्रतिमाह 10.00 से 15.00 लाख की 01 ऋण पत्रावली अवश्य तैयार कराते हुए ऋण वितरण की कार्यवाही करायी जाए।
4. बैंक में संचालित योजनान्तर्गगत ऋण वितरण हेतु कृषकवार धनमांग बैंक पोर्टल के माध्यम से की जाएं, जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक के अनुमोदनोपरान्त ही धनमांग का संकलन शाखावार प्रस्तुत किया जायेगा, तद्पश्चात ही शाखाओं को धन प्रेषित किया जायेगा।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त धनमांग को अनुमोदन करने से पूर्व यह अवश्य ध्यान रखे कि बैंक पोर्टल पर किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी न हो। साथ ही लक्ष्य एवं निर्धारित मानक के अनुरूप अधिक धनमांग न की जाए।
6. शाखाओं द्वारा ऋण वितरण के कुल निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही पत्रावलियां तैयार कराकर बैंक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे शाखा द्वारा ऋण लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय व अन्तिम किश्त के भुगतान हेतु कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके।
7. प्रधान कार्यालय से शाखाओं को धनप्रेषण "First come First serve" के आधार पर किया जायेगा।
8. शाखाओं द्वारा ऋण वितरण हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की मांग को दृष्टिगत रखते हुए ऋण पत्रावलियां स्वीकृत की जाएं।
9. शाखा द्वारा वितरित ऋणों की कृषकवार सूचना नियमित बैंक पोर्टल पर (Disbursement Date) अंकित की जाए।
10. एनबीसीएफडीसी एवं एनएसएफडीसी योजनान्तर्गत ऋण वितरण लक्ष्य पृथक से रखें जायें, क्षेत्रीय प्रबन्धक मण्डल की शाखाओं में आवंटित करते हुए मण्डल की संकलित सूचना बैठक में साथ लेकर आयें।
11. वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऋण वितरण लक्ष्य प्रथम त्रैमास में 20 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में 20 प्रतिशत, तृतीय त्रैमास में 30 प्रतिशत तथा चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत के अनुसार निर्धारण किया जाये, जो आगामी त्रैमास में क्रमिक लक्ष्यों के साथ सम्मिलित रहेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऋण वितरण हेतु उपयुक्त लाभार्थी का चयन करते हुए पारदर्शिता, समयबद्धता एवं पूर्णतः गुणवत्ता ऋण वितरण में किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

3.4.23

(आर0के0कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त शाखा प्रबंधक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त शाखा प्रतिनिधि,उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक।
8. सभापति महोदय, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
9. आयुक्त एवं निबंधक महोदय, सहकारिता, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।

3.4.23

प्रबन्ध निदेशक